



कर्नाटक में कांग्रेस का आरोप, भाजपा ने 50 विधायकों को पचास-पचास करोड़ रु. की रिश्त की पेशकश की

कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र ने कहा, बिना प्रमाण दिए ऐसे आरोप लगाना बचकाना राजनीतिक बयान है

-लक्ष्मण वैंकट कुची-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

नई दिल्ली, 14 नवम्बर। अन्यान्य कर्नाटक के दावे ने कर्नाटक के राजनीतिक वातावरण में तुकान ला दिया है क्यों भी ऐसे समय में जबकि महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं। सिंधारमैया ने कहा है कि भाजपा उनकी सरकार गिराने के लिए कांग्रेस विधायकों को 50 करोड़ रु. की पेशकश कर रही है।

मुख्यमंत्री द्वारा बुधवार को एक जनसभा में दिए गए इस बयान के कारणों व प्रभाव को राजनीतिक विशेषक द्वारा बैठून के रूप में देख रहे हैं जिसका इत्तमाल कांग्रेस महाराष्ट्र व झारखण्ड के विधानसभा चुनावों में कर रही है इसमें कर्नाटक की तीव्र विधानसभा सीटों भी शामिल हैं जहां उपचुनाव हो रहा है भाजपा ने मुख्यमंत्री द्वारा बुधवार को राजनीतिक विधायकों को दावे के दावे की चुनौती दी। भाजपा कई राज्य कर्नाटक में देख रहे हैं और खंडन आने से इन पर ज्यादा यकीन हो जाएगा। खालीकर भाजपा का युग्म ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो भाजपा कई राज्य

- कर्नाटक में कांग्रेस के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने मुख्यमंत्री सिंधारमैया के आरोपों का समर्थन किया और कहा, भाजपा का निर्वाचित सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने का इतिहास रहा है।
- शिवकुमार ने कहा, भाजपा ने कर्नाटक में ऐसा किया था और कांग्रेस-जद (एस.) गठबंधन की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई थी, तब भाजपा ने जद (एस.) और कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़ लिया था।
- शिवकुमार ने मध्यप्रदेश का उदाहरण भी दिया, जहाँ, भाजपा ने ज्योतिरादित्य व उनके समर्थकों से दल-बदल करवा कर कमलनाथ की कांग्रेस सरकार गिरा दी थी।
- इधर भाजपा ने कहा कि असल में सिंधारमैया को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है वे उन पर नियंत्रण करने और भ्रष्टाचार के मामलों से ध्यान हटाने के लिए आरोप लगा रहे हैं।

सकारों को साजिश करके गिराया है। सहयोगी थी। इसके बाद भाजपा ने जिमें कर्नाटक भी शामिल है जबकि कांग्रेस सरकार बनाई थी।

व जग एस. के कुछ विधायकों ने इसीपाइ देविता ताविसी को चुनावार्ता वार्ता में भी शामिल है जो यही रास्ता अपनाया था जब जाएगा। खालीकर भाजपा को युग्म ट्रैक की सरकार गिर गई थी जिसके कांग्रेस विधायकों ने अपने समर्थक

विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी थी जिससे कांग्रेस अल्पसमय में आ गई और फिर ज्योतिरादित्य की मदद से भाजपा की सरकार बनी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भाजपा के खिलाफ विशेष आरोप लगाए हैं, कि भाजपा उनकी सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई थी, तब भाजपा ने जद (एस.) और कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़ लिया था।

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि विधायिकाओं ने 25 सितंबर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में बयान दर्ज करने के साथ ही सबूत भी संपर्क दिए हैं ऐसे में अब विधायिका का कोई ऑफिशियल नहीं है। इसलिए विधायिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले के अनुसार, फोन टैपिंग को लेकर कैन्ट्री मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसलिए विधायिका को राजस्वार्थी पर रोक रखकर, उनकी घटनाएं के लिए आरोपित विधायिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले के अनुसार, फोन टैपिंग को लेकर कैन्ट्री मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसलिए विधायिका को राजस्वार्थी पर रोक रखकर, उनकी घटनाएं के लिए आरोपित विधायिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले के अनुसार, फोन टैपिंग को लेकर कैन्ट्री मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसलिए विधायिका को राजस्वार्थी पर रोक रखकर, उनकी घटनाएं के लिए आरोपित विधायिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले के अनुसार, फोन टैपिंग को लेकर कैन्ट्री मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसलिए विधायिका को राजस्वार्थी पर रोक रखकर, उनकी घटनाएं के लिए आरोपित विधायिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले के अनुसार, फोन टैपिंग को लेकर कैन्ट्री मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसलिए विधायिका को राजस्वार्थी पर रोक रखकर, उनकी घटनाएं के लिए आरोपित विधायिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले के अनुसार, फोन टैपिंग को लेकर कैन्ट्री मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसलिए विधायिका को राजस्वार्थी पर रोक रखकर, उनकी घटनाएं के लिए आरोपित विधायिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले के अनुसार, फोन टैपिंग को लेकर कैन्ट्री मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसलिए विधायिका को राजस्वार्थी पर रोक रखकर, उनकी घटनाएं के लिए आरोपित विधायिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले के अनुसार, फोन टैपिंग को लेकर कैन्ट्री मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसलिए विधायिका को राजस्वार्थी पर रोक रखकर, उनकी घटनाएं के लिए आरोपित विधायिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले के अनुसार, फोन टैपिंग को लेकर कैन्ट्री मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसलिए विधायिका को राजस्वार्थी पर रोक रखकर, उनकी घटनाएं के लिए आरोपित विधायिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले के अनुसार, फोन टैपिंग को लेकर कैन्ट्री मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसलिए विधायिका को राजस्वार्थी पर रोक रखकर, उनकी घटनाएं के लिए आरोपित विधायिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले के अनुसार, फोन टैपिंग को लेकर कैन्ट्री मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसलिए विधायिका को राजस्वार्थी पर रोक रखकर, उनकी घटनाएं के लिए आरोपित विधायिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले के अनुसार, फोन टैपिंग को लेकर कैन्ट्री मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसलिए विधायिका को राजस्वार्थी पर रोक रखकर, उनकी घटनाएं के लिए आरोपित विधायिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले के अनुसार, फोन टैपिंग को लेकर कैन्ट्री मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसलिए विधायिका को राजस्वार्थी पर रोक रखकर, उनकी घटनाएं के लिए आरोपित विधायिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले के अनुसार, फोन टैपिंग को लेकर कैन्ट्री मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसलिए विधायिका को राजस्वार्थी पर रोक रखकर, उनकी घटनाएं के लिए आरोपित विधायिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले के अनुसार, फोन टैपिंग को लेकर कैन्ट्री मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसलिए विधायिका को राजस्वार्थी पर रोक रखकर, उनकी घटनाएं के लिए आरोपित विधायिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले के अनुसार, फोन टैपिंग को लेकर कैन्ट्री मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसलिए विधायिका को राजस्वार्थी पर रोक रखकर, उनकी घटनाएं के लिए आरोपित विधायिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले के अनुसार, फोन टैपिंग को लेकर कैन्ट्री मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसलिए विधायिका को राजस्वार्थी पर रोक रखकर, उनकी घटनाएं के लिए आरोपित विधायिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले के अनुसार, फोन टैपिंग को लेकर कैन्ट्री मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसलिए विधायिका को राजस्वार्थी पर रोक रखकर, उनकी घटनाएं के लिए आरोपित विधायिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले के अनुसार, फोन टैपिंग को लेकर कैन्ट्री मंत्री गजेंद